

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 247 सन 2020

अनवान :-

1. पवन सरावग पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मंजु पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रविना पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 244/248 की कुल 19.3990 हैक में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 186/189 की खसरा न0 379/3 की कुल 2.0230 में से 1/8 हिस्सा खाता संख्या 178/178 की कुल 97.8970 हैक में से 3141/195794 हिस्सा भूमि वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज है।

वादी की पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ही है जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने एवं मृतक रामचन्द्र पुत्र सुल्तान पुत्री है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई /माता वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामचन्द्र पुत्र सुल्तान जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,जो वादी की बहने एवं रामचन्द्र पुत्र सुल्तान की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जबाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य

हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 244/248 की कुल 19.3990 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 186/189 की खसरा न० 379/3 की कुल 2.0230 में से 1/8 हिस्सा खाता संख्या 178/178 की कुल 97.8970 हैक्टर में से 3141/195794 हिस्सा भूमि वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज है

वादी की पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ही है जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने एवं मृतक रामचन्द्र पुत्र सुल्तान पुत्री है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई /माता वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 244/248 की कुल 19.3990 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 186/189 की खसरा न० 379/3 की कुल 2.0230 में से 1/8 हिस्सा खाता संख्या 178/178 की कुल 97.8970 हैक्टर में से 3141/195794 हिस्सा भूमि वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है वादी की माता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी लालचन्द्र के जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बटवारा कर लिया है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

25

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 244/248 की कुल 19.3990हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि जो रामचन्द्र पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार रहेगे व खाता संख्या 186/189 की खसरा न0 379/3 की कुल 2.0230 में से 1/8 हिस्सा खाता संख्या 178/178 की कुल 97.8970हैक् में से 3141/195794 हिस्सा भूमि वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र सुल्तान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक / 7/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. पवन सरावग पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मंजु पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रविना पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 247 सन 2020 निर्णय दिनांक-17/08/2020**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 244/248 की कुल 19.3990 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि जो रामचन्द्र पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार रहेगे व खाता संख्या 186/189 की खसरा न0 379/3 की कुल 2.0230 में से 1/8 हिस्सा खाता संख्या 178/178 की कुल 97.8970 हैक् में से 3141/195794 हिस्सा भूमि वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )